

प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

Annexure

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

ए०सी०एन० इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन सी०एस०एन० कॉलेज ऑफ फार्मसी, कासिमपुर पाव-लखनऊ
रोड अलीगढ़। सोसायटी/ट्रस्ट - आल इण्डिया रिहैबिलिटेशन एण्ड एजुकेशनल सोसाइटी 171 सेक्टर 4
लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद।

पत्रांक:- प्राशिप / परिषद / 2022 / 5845

लखनऊ: दिनांक- 14-7-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56 /
(Approval Process for 2022-23 as) / 11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उ०
न्यायालय-के-आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में
2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति
निर्गत किये जाने के संबंध में अनुशेष किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा
संस्थाओं की सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रश्नगत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्था
की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश, दिनांक 31-5-2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली
उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14-56 / 2022 (Approval Process for 2022-23, as) / 11621-23
दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था
सहमति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में योजित एस०एल०पी० न० 408 / 2022 में प
अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फ
काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद
आदेश सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपर
अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो
स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं कि
जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को
किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई०
परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्य
एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की मुदत न होने तथा स्थल
निरीक्षण में मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जायेगी।

भवदीय,

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पु०सं०- प्राशिप / परिषद / 2022 / 5846-47

तददिनांक- 14-7-2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउन्सिल बिल्डिंग
टेम्पल लेन, कोटला रोड, एगान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

Secretary

All India Rehabilitation & Educational Society